राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 8(2) राज/वाद/12 जयपुर, दिनांक 30-1-24.

:: आदेश ::

नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश, रावतसर, कुम्हेर, खाजूवाला, बालेसर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक तथा इनके स्टाफ के पद लेखामद 2014–00–114–01–00–01 (राज्यनिधि) में निम्नानुसार पदों के सृजन की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

क0सं0	पद नाम	कुल सृजित पद	पे बैण्ड/ग्रेड पे
1	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग)	04	रू 21,200/– प्रतिमाह (निश्चित) रिटेनरशिप
2	कनिष्ठ सहायक	04	5200–20200, ग्रेड पे– 2400/– (एल–5)
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04	5200–20200, ग्रेड पे –1700/– (एल–1)

उपरोक्त नव सृजित पदों का कार्यालय वार विवरण निम्नानुसार है :–

क0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	पद नाम	पदों की संख्या
1	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, रावतसर जिला हनुमानगढ़	01	कनिष्ठ सहायक	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
2	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कुम्हेर जिला डीग	01	कनिष्ठ सहायक	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
3	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, खाजूवाला जिला बीकानेर	01	कनिष्ठ सहायक	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01
4	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बालेसर जोधपुर जिला	01	कनिष्ठ सहायक	01	च0श्रे0 कर्मचारी	01

उपरोक्त नवसृजित कार्यालयों हेतु नवीन आईटम हेतु लेखामद 2014–00–114–01–00–05 कार्यालय व्यय (राज्य निधि) में उपलब्ध प्रावधान में से व्यय करने की सहमति प्रदान की जाती है, यह उपापन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना करते हुये किया जावें:–

क0सं0	फर्नीचर का नाम	संख्या	अनुमानित दर	अनुमानित व्यय
1	टेबिल	08 (प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 02)	10,000/–	80,000/–
2	कुर्सी	32 (प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 08)	4000/–	1,28,000/–
3	आलमारी	08 (प्रत्येक अपर लोक अभियोजक कार्यालय हेतु 02)	15,000/–	1,20,000/–
4	विविध अन्य कार्यालय सामग्री	प्रत्येक कार्यालय हेतु राशि 10000/–रू	10000/–	40,000/–
			योग	**3,68,000/–**

नवसृजित कार्यालय, पदों एवं उपरोक्त फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी सं0 102302485 दिनांक 25.01.24 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

आज्ञा से,
30/1/24

(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

लगातार/–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, गृह(विधि)।
5. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर जिला।
6. अपर जिला न्यायाधीश, रावतसर जिला हनुमानगढ़/ कुम्हेर जिला डीग/खाजूवाला जिला बीकानेर/ बालेसर जोधपुर जिला ।
7. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़, डीग, बीकानेर एवं जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नवीन आइटम वर्ष 2023–24 में उपलब्ध वित्तीय प्रावधान से तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए क्रय किया जाना सुनिश्चित कर संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध करायें।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
9. कोषाधिकारी, हनुमानगढ़, डीग, बीकानेर एवं जोधपुर।
10. संबंधित कार्यालय।
11. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि (वादकरण) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वांछित बजट संबंधित जिला कलक्टर को आवंटित करें।
12. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

30/1/24

(हिमांकनी गौड़)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण